The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 1 | April-June 2023
Website: www.theacademic.in

महिला बाल श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सशक्तिकरण की भूमिका

डॉ० (ले०) मंजू भारती [1] , विजय प्रताप सिंह [2*]

[1] ऐसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय, हर्ष नगर, कानपुर नगर

[2] शोध छात्र समाजशास्त्र, आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय, हर्ष नगर, कानपुर नगर

प्रस्तावना-

भारत देश में महिला बाल श्रमिकों का विषय बहुत ही पुराना है। यह उतना ही पुराना है जितना मनुष्यों का इतिहास पुराना है। प्रत्येक देश की उन्नति और विकास में बच्चों का मुख्य किरदार है। इस स्थिति में बालकों को तो कर्णधार माना जाता है लेकिन बालिकायें अक्सर शोषण व उपेक्षा का शिकार हो जाती हैं। आजकल बहुत से विकासशील और नए उद्योग धंधों वाले देशों में महिला बाल श्रमिक प्रथा समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। अब वास्तव में महिला बाल श्रम सभी विकसित और विकासशील देशों में व्याप्त है।

आज के वर्तमान समय से यदि हम सब पीछे मुड़कर वैदिक युग में जाते हैं तो अध्ययनों से पता चलता है कि वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उस समय महिलाओं को पुरुषों के समान संपत्ति, धर्म, शिक्षा व राजनीति में बराबर का अधिकार प्राप्त था। इसके बाद के आने वाले सभी युगों में महिलाओं की स्थिति लगातार गिरती चली गई और सबसे खराब स्थित तो मनु स्मृति के समय में थी। जिसके अनुसार महिला कभी स्वतंत्र रखने योग्य नहीं है। महिला को बाल्यावस्था में अपने पिता के संरक्षण में यौवनावस्था में अपने पति के संरक्षण में तथा वृद्धावस्था में अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। मनुस्मृति के अलावा मध्ययुग के हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही विचारणीय हो गई थी। समय अंतराल के साथ 18वीं शताब्दी में साथ यह महसूस किया जाने लगा कि महिलाओं वह सभी अधिकार प्रदान किए जाएं जो प्राचीन काल में थे। महिलाओं की स्थिति के मद्देनजर भारत देश के इतिहास में प्राचीन काल के समय में भी महिला बाल श्रम प्रथा व्याप्त थी। बालिकाओं को भी उस समय वस्तुओं की तरह ही मनोरंजन के लिए खरीदा और बेचा जाता था। उस समय गरीब परिवार की बालिकाओं को ध्वनि परिवार वालों के यहां काम करना पड़ता था। ऐसा करने के कारण बालिकाओं को बंधुआ मजदूर समझा जाता था। हमारे भारत देश में विभिन्न सामाजिक समस्यायें हैं जिनमें गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी

*Corresponding Author : vijaypratapsingh915@gmail.com

व जनसंख्या की अधिकता प्रमुख हैं। इन समस्याओं के कारण परिवार के मुखिया द्वारा आवश्यक जरूरतों को पूरा करना कठिन हो जाता है जिससे मजबूरीवश बालिकाओं। को भी श्रम कार्य करना पड़ता है। बालिका श्रमिक अपने बचपन की जरूरी गतिविधियों को छोड़कर अपने बचपन को विनाश करके अधेड़ बनने तक विभिन्न गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। इन गंभीर बीमारियों से बालिका श्रमिक शारीरिक अस्वस्थता के कारण अपने परिवार पर बोझ स्वप्रतीत होती है। वास्तव में महिला बाल श्रम एक छोटी समस्या ना होकर सामाजिक रूप से चुनौती का विषय है। बालक श्रमिकों की ही तरह इन बालिका सेवकों को भी गंभीर खतरनाक उद्योग धंधों में काम करने के लिए विवश किया जाता है। जिससे इन बालिका श्रमिकों को स्वास्थ्य था निर्मल भावनाओं का शोषण किया जाता है। इन छोटी-छोटी महिला बाल श्रमिकों से काम करा कर उनका बचपन छिन जाता है तथा कम पैसों पर खतरनाक दशाओं में वह काम करती हैं।

प्राचीन समय से लेकर आज तक हमारे देश में महिला बाल श्रमिकों की जड़ें इतनी अधिक गहराई तक पहुंच गई है कि इनको उखाड़ना बहुत ही जटिल प्रतीत हो रहा है। सभी प्रकार के बाल श्रमिकों के निदान के लिए अलग-अलग तरह के प्रयास किए गए इसके अंतर्गत वर्ष 1990 को बालिका वर्ष के रूप में यादगार बनाया गया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यह था कि इस जगत में हो रहे सभी बच्चों के उन्मुखी विकास के लिए कार्य करना है। इसके अलावा सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा महिला बाल श्रमिकों के निवारण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे देश में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण के रूप में घोषित किया गया और साथ में "सशक्त नारी सशक्त समाज"... का नारा दिया गया। 2001 के महिलाओं के इस नारे से महिला बाल श्रमिकों को भी सशक्तिकरण की प्रेरणा मिली साथ ही महिला सशक्तिकरण 2001 का प्रचार प्रसार भी किया गया है। महिला बाल श्रमिकों को जागरूक कर उनकी शैक्षिक व स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार के प्रयास भी किये जा रहे हैं। बाल श्रमिकों के नजरिये से हम सभी लोग महिला बाल श्रमिकों के सुधार, शिक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य, विकास और अधिकारों के लिए बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए गंभीर नहीं होते हैं। यदि सत्यता की बात करें तो बाल कल्याण की घोषणाएं सिर्फ कागजों पर ही होती हैं। आज परिस्थिति के अनुसार इस बात की आवश्यकता है कि सरकार की नीतियों का सशक्त तरीके से पालन कराया जाये। महिला बाल श्रमिकों के सशक्तिकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाये। महिला बाल श्रमिकों के सशक्तिकरण को पूरी मजबूती तभी मिल सकती है, जब उसके बारे में महिलाओं, परिजनों व महिला बाल श्रमिकों को पूर्ण जानकारी हो।

प्रमुख अवधारणा-

महिला बाल श्रमिक कोई भी ऐसी महिला जिसने अपनी उम्र के 14 वर्ष पूरे नहीं कर पाए तो है बालिका है और कोई भी बालिका इस प्रकार के कार्य में लिप्त है जिससे उसे मनोरंजन में पढ़ाई लिखाई करने में असुविधा हो, महिला बाल श्रमिक कहलाती है। इन महिला बाल श्रमिकों को कार्य क्षेत्र व अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना व सशक्तिकरण की भावना में बदलना।

शोध के उद्देश्य-

1. महिला बाल श्रमिकों का अध्ययन करना।
2. महिला बाल श्रमिकों के परिवार की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना।
3. महिला बाल श्रमिकों के परिवार की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।
4. महिला बाल श्रमिकों के परिवार की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
5. महिला बाल श्रमिकों के परिवारों में सशक्तिकरण की जानकारी का अध्ययन करना।

उपकल्पनायें-

1. महिला बाल श्रमिकों के परिवार की स्थिति निम्न स्तर की है।
2. महिला बाल श्रमिकों के परिवार की शैक्षिक स्थिति निम्नत्तर है।
3. महिला बाल श्रमिकों के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है।
4. महिला बाल श्रमिकों के परिवार में सशक्तिकरण की जानकारी कम है।

शोध प्रारूप- प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग कार्यों में संलग्न महिला बाल श्रमिकों पर आधारित है। तथ्यों के संकलन हेतु 60 महिला बाल श्रमिक उत्तरदाताओं को सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर चयनित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में महिला बाल श्रमिकों की पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति एवं कार्य की दशाओं का वर्णन किया गया है।

महिला बाल श्रमिकों से तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची विधि से किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में महिला बाल श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनका सशक्तिकरण करने का प्रयास किया गया है। जिन से संबंधित निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत हुये।

आयु- बाल श्रमिक के निर्धारण में आयु का विशेष महत्व है। वर्तमान में जहां प्राप्त हुए गणों को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं महिला बाल श्रमिकों को उचित विकास हुआ निर्धनता को समाप्त करने के लिए शैक्षिक

महत्व के साथ-साथ आयु का भी विशेष महत्व है। इससे संबंधित महिला बाल श्रमिकों की आयु को तालिका में निम्न रूप से दर्शाया गया है-

तालिका संख्या 1

महिला बाल श्रमिकों की आयु का विवरण

आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
8-10	18	30%
10-12	32	53.33%
12-14	10	16.67%
योग	60	100

उपर्युक्त तालिका में मिली जानकारी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 53.33% महिला बाल श्रमिक 10-12 वर्ष की आयु के हैं तथा लगभग एक तिहाई 30% महिला बालश्रमिक 8 से 10 वर्ष आयु के हैं और 16.67% महिला बाल श्रमिक 12 से 14 वर्ष के मिले हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि महिला बाल श्रमिक शिक्षा अर्जित करने व मनोरंजन करने की अवस्था में अलग -अलग श्रमिक कार्य में लग जाते हैं।

पारिवारिक संरचना-

सामाजिक रूप से परिवार पति-पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों से मिलकर बनता है। परिवार प्रत्येक समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रस्तुत शोध में पारिवारिक संरचना का विवरण निम्न प्रकार से दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 2-

महिला बालश्रमिकों के परिवार की संरचना

आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
2-5	8	13.33%
5-8	20	33.33%
8-12	32	53.33%
योग	60	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 8-12 सदस्य संख्या वाले सबसे अधिक 53.33% परिवार पाये गये व 5से 8 सदस्य संख्या वाले 33.33% परिवार पाए गए तथा 2-5 सदस्य संख्या वाले सबसे कम 13.33%परिवार पाए गये।

आर्थिक स्तर-

महिला बाल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में परिवार की आय का मुख्य साधन पिता की मजदूरी ही होती है। इसी आयको जीवन का आधार मानकर इनके सामाजिक स्तर का निर्धारण आर्थिक स्तर के अनुसार किया जाता है। प्रस्तुत शोध में आर्थिक स्तर से संबंधित विवरण तालिका में निम्न रूप से दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 3

महिला बाल श्रमिकों का आर्थिक स्तर

जीवन स्तर	संख्या	प्रतिशत
निम्न स्तर	48	80%
मध्य स्तर	12	20%
उच्च स्तर	00	00%
योग	60	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में महिला बाल श्रमिक 80% निम्न स्तर से संबंधित पायी गयीं तथा शेष 20% महिला बाल श्रमिक मध्य स्तर से संबंधित पायी गयीं। उच्च स्तर के अंतर्गत महिला बाल श्रमिक का प्रतिशत शून्य रहा है। इससे यह ज्ञात होता है कि सबसे अधिक महिला बाल श्रमिक निम्न आर्थिक स्थित से आती हैं।

शिक्षा-

शिक्षा का अर्थ यह हुआ कि लोगों के अंधकारमय जीवन को प्रकाश की ओर ले जाना तथा अज्ञानता के भ्रम को ज्ञान प्राप्त कर दूर करना। बिना शिक्षा के व्यक्ति परिवार, समाज व अज्ञानता के अंधेरे में भटकता रहता है। प्रस्तुत शोध में महिला बाल श्रमिकों के परिवार की शिक्षा संबंधी विवरण निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 4

महिला बाल श्रमिकों के परिवार की शैक्षिक स्थिति

शैक्षिक योग्यता	संख्या	प्रतिशत

शिक्षित	06	10%
साक्षर	24	40%
अशिक्षित	30	50%
योग	60	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अब 50% महिला बाल श्रमिक अशिक्षित परिवार से संबंधित पायी गयीं तथा 40% साक्षर परिवार से संबंधित पायी गयीं और शिक्षित परिवार से केवल 10% ही महिला बाल श्रमिक पायी गयीं। अशिक्षा का स्तर ही महिला बालश्रमिक को बढ़ावा दे रही है।

सशक्तिकरण-

महिला बाल श्रमिकों में सशक्तिकरण की क्या भूमिका है? इसके संदर्भ में विभिन्न परिवारों की राय जानने का प्रयास किया गया साथ ही साथ यह जानने का भी प्रयास किया गया है कि उन्हें बालिकाश्रम के सशक्तिकरण की जानकारी है अथवा नहीं।

तालिका संख्या 5

महिला बाल श्रमिकों में सशक्तिकरण का ज्ञान

सशक्तिकरण का ज्ञान	संख्या	प्रतिशत
हाँ	36	60%
नहीं	24	40%
योग	60	100%

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 60% महिला बाल श्रमिक सशक्तिकरण की भावना से परिचित हैं जबकि 40% महिला बाल श्रमिकों को सशक्तिकरण की अवधारणा का ज्ञान तक नहीं है।

महिला बाल श्रमिकों के सशक्तिकरण में परिवार का योगदान।

महिला बाल श्रमिक को सशक्तिकरण के माध्यम से इस बाल श्रम के दलदल से बाहर निकालने में परिवार का विशेष महत्व होगा।

तालिका संख्या 6

परिवार का योगदान	संख्या	प्रतिशत
हाँ	48	80%
नहीं	12	20%
योग	60	100%

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बालिका श्रमिक को इस श्रम से छुटकारा दिलाने में 80% परिवार सशक्तिकरण करने के लिए सजग पाये गये, जबकि 20% परिवार का रुख मजबूरी वश व नकारात्मक रहा है। नकारात्मकता का कारण पुरुष प्रधान समाज,, परंपरा का पालन, भ्रष्टाचार एवं अराजकता, निर्धनता तथा महिलाओं की अक्षमता है।

निष्कर्ष-

अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त महिला बाल श्रमिकों के परिवारों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि महिला बाल श्रमिक अशिक्षा, निर्धनता, अज्ञानता और अधिक जनसंख्या के बन जाती है। निर्धनता और शिक्षा के साथ-साथ महिला बाल श्रमिक प्रथा के लिए समाज में फैली कुरीतियां, अंधविश्वास, परम्परायें भी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा महिला बाल श्रमिक कम मजदूरी, असहनीय दशाओं में भी कार्य करती रहती हैं। महिला बाल श्रमिकों को डरा धमकाकर व अनुशासन में कार्य करवाया जाता है अत्यधिक घंटे तक कार्य व विपरीत परिस्थितियाँ होने पर भी यह विरोध नहीं करती है।

अंत में यही कहा जा सकता है कि महिला बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए उनके माता-पिता को ही जागरूक होकर आगे आने की आवश्यकता है। इसके अलावा राज्य सरकार व केंद्र सरकार की जो नीतियां और योजनाएं हैं उन्हें महिला बाल श्रमिकों के परिवार तक पहुंचाना आवश्यक है। भारतवर्ष में महिला बाल श्रमिक तभी सशक्त हो सकती है, जब शिक्षा के माध्यम से उन्हें व उनके परिवार में जागरूकता लायी जाये और उनका प्रत्येक प्रकार का शोषण करना बंद किया जाये। इसके लिए स्वयं महिलाओं को ही आगे आना होगा। महिला बाल श्रम प्रथा को रोकने के लिए हमें स्वयं व अपने पड़ोस मोहल्ले से शुरुआत करनी होगी।अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करनी होगी, तभी महिला बाल श्रमिक सशक्तिकरण की अवधारणा सार्थक सिद्ध हो सकेगी।

सन्दर्भ सूची:-

1. कौर, डॉ. कवलजीत, राधा कमल मुकर्जी:चिन्तन परंम्परा, बाल श्रमिकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि:एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, समाज विज्ञान विकास संस्थान, बरेली।
2. राव, डॉ. मनीषा, राधा कमल मुकर्जी:चिन्तन परम्परा, बाल श्रम एवं नीतियां: समस्या एवं समाधान, समाज विज्ञान विकास संस्थान, बरेली।
3. जबी, डॉ. जोहरा, राधा कमल मुकर्जी: चिन्तन परम्परा, महिला बाल श्रमिकों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, समाज विज्ञान विकास संस्थान, बरेली।
4. श्रीवास्तव, डॉ. सुधीर, राधाकमल मुकर्जी चिन्तन: परम्परा, महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका, समाज विज्ञान विकास संस्थान, बिजनौर।
5. यादव, दयाशंकर सिंह, योजना, भारत में शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों से महिला सशक्तिकरण, सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
6. एन, नीता, योजना, श्रम में लैंगिक न्याय की सुनिश्चिता, सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।